पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.137/2025

RBE No.112/2025

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/0001/2025 (Com.No.309129) Date: As Signed

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषयः- Consideration of representation against 'Adverse remarks' recorded in the APAR of a non-gazette railway servant - clarification.

संदर्भः- Railway Board's letter No.-E(NG)I-2023/CR/4, Dated-29.10.2025.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally signed by
PRAKASH KUMAR SINGH
Date: 02-12-2025
12:19:05

सकाधि/ई.एस.एम.
कृतें महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरईयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

RBE No. 112/2025

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड) **(RAILWAY BOARD)**

No. E(NG)I-2023/CR/4 **New Delhi, dated 29.10.2025**

The General Managers (P)
All Zonal Railways & Production Units, etc.
(As per standard list)

Subject: Consideration of representation against 'Adverse remarks' recorded in the APAR of a non gazetted railway servant – clarification.

Ref: Board's instruction dated 24.09.2024 (RBE 89/2024).

1. Attention is invited to Board's instruction under reference, wherein a list of competent authorities to consider representations against adverse remarks recorded in the APAR of non-gazetted railway employees was provided in Annexure-I.
2. Various Zonal Railways have sought clarification on the applicability of the instructions to all levels of non-gazetted employees. The matter has been re-examined, and the following clarifications/corrigendum are issued:

- For employees where, the APAR is written and finalized at only one level (e.g. Personal Secretaries, Confidential Assistants etc.) the competent authority to decide such representation will be the next higher authority to the Authority finalizing the APAR.
- For employees where, the APAR is written and finalized at two levels i.e. the Reporting and Reviewing Authorities, the competent authority to decide such representation would be the next higher authority to the Reviewing authority.
- For employees where, the APAR is written and finalized at three levels, The competent authority to decide such representations will be the next higher authority to the Authority finalizing the APAR.

3. It may be noted that the APAR finalizing authority will be that authority which is the last authority writing the APAR. For APARs which may be considered for promotion to Group B, filling up of Section – II of the APAR is necessary, the finalizing authority shall be the authority writing the final remarks of Section II of the APAR.
4. The earlier instructions issued by Board's earlier letter dated 24.09.2024 (RBE 89/2024) stands modified to the extent of above instructions. Past cases decided otherwise not be reopened.

29/10/25

(अजय गोयल /Ajay Goyal)
उप निदेशक-III स्था. (एन)/Deputy Director-III, Estt.(N)
रेलवे बोर्ड/Railway Board
टेली./Tele No. 47224/01123047224

पांचवातल, कमरानं. 536-E(1), रेलभवन, नईदिल्ली-110001, ई-मेल ajay.2097123@gov.in
5th Floor, Room No.536-E(1), Rail Bhawan, New Delhi-110001, E-mail ajay.2097123@gov.in

No. E(NG)I-2023/CR/4 **New Delhi,dated 29.10.2025**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

29/10/2025

for **PED(IR)/Railway Board**

Advisor/MR, PSs/MoSR(D), MOSR (J), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.
DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

आरबीई सं. 112/2025

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)I-2023/सीआर/4 **नई दिल्ली, दिनांक 29.10.2025**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित रेल कर्मचारी की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज 'प्रतिकूल टिप्पणियों' के तहत अभ्यावेदन पर विचार करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 24.09.2024 का अनुदेश (आरबीई 89/2024)

1. आपका ध्यान बोर्ड के संदर्भाधीन अनुदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की एपीएआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के तहत अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में दी गई थी।

2. विभिन्न क्षेत्रीय रेलों ने सभी स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों पर इन अनुदेशों की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की पुनः जाँच की गई है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र जारी किए गए हैं:

- उन कर्मचारियों जिनकी, एपीएआर केवल एक स्तर पर लिखी जाती है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है (जैसे निजी सचिव, गोपनीय सहायक आदि) के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी एपीएआर को अंतिम रूप देने वाले प्राधिकारी से अगला उच्चतर प्राधिकारी होगा ।
- उन कर्मचारियों जिनकी, एपीएआर दो स्तरों अर्थात रिपोर्टिंग और पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा लिखी जाती है और अंतिम रूप दिया जाता है, के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी से अगला उच्चतर प्राधिकारी होगा।
- उन कर्मचारियों जिनकी, एपीएआर तीन स्तरों पर लिखी जाती है और अंतिम रूप दिया जाता है, के अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी, एपीएआर को अंतिम रूप देने वाले प्राधिकारी से अगला उच्चतर प्राधिकारी होगा।

3. यह नोट किया जाए कि एपीएआर को अंतिम रूप देने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा जो एपीएआर लिखने वाला अंतिम प्राधिकारी होगा। ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु, जहाँ एपीएआर का भाग-II भरना आवश्यक है, एपीएआर को अंतिम रूप देने वाला प्राधिकारी, एपीएआर के भाग-II की अंतिम टिप्पणियाँ लिखने वाला प्राधिकारी होगा।

4. बोर्ड के दिनांक 24.09.2024 के पत्र (आरबीई 89/2024) के तहत जारी पूर्ववर्ती अनुदेश, उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार संशोधित माने जाएँगे। अन्यथा निर्णीत पूर्ववर्ती मामलों को नहीं खोला जाएगा।

29/10/25

(अजय गोयल)
उप निदेशक-III स्था. (एन)
रेलवे बोर्ड
टेली. 47224/01123047224

पांचवा तल, कमरा नं . 536-ई(1), रेल भवन, नई दिल्ली -110001, ई-मेल ajay.2097123@gov.in

सं.ई(एनजी)I-2023/सीआर/4 **नई दिल्ली, दिनांक 29.10.2025**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. सभी सदस्य/विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद एवं सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियाँ)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ)।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलॉइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्पलॉइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

29/10/2025

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.सं.)/रेलवे बोर्ड

सलाहकार/रेल मंत्री, निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री (डी), रेल राज्य मंत्री (जे), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, ओएसडी/रेल मंत्री, ओएसडी/समन्वय/रेल मंत्री।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य अवसंरचना, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), सचिव, महानिदेशक/रेलवे स्वास्थ्य सेवा और महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल आदि के प्रधान निजी सचिव।
